बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम–2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की 9वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 24.04.2024

समय : 4:30 बजे अपराह्न

स्थल : अरण्य भवन, बिहार, पटना–14

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की 9वीं बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः—

अध्यक्ष तथा 5 में से 4 पदेन सदस्य एवं पर्षद के सचिव उपस्थित—यथा पंजी

1. **कार्यावली सं०— 1**

   (क) **8वीं बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी।**

   (ख) वर्ष **2023—24** में वित्तीय, कार्य प्रगति तथा बैठक के मुख्य निर्णयों के अनुपालन की प्रस्तुति की गयी जिसका पर्षद द्वारा संज्ञान लिया गया। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि पर्षद की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में बढ़ोत्तरी की जाय।

2. **कार्यावली सं०—02— वर्ष 2024—25 की वार्षिक कार्य योजना—1**

   (क) **2024—25** के लिए स्वीकृत बजट के अन्तर्गत स्थापना एवं कार्यालय संचालन इत्यादि विभिन्न 13 कार्य मदों पर गैर—वेतन मद से व्यय के लिए प्रस्तावित कुल राशि— 108.73 लाख रूपये अनुमोदित की गयी।

   (ख) वर्ष **2024—25** की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 5 कार्यो/क्रिया—कलापों पर प्राक्कलित वचनबद्ध व्यय 43.755 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया।

   इसके कार्य संख्या 3 में उल्लेखित Greater Adjutant Storks (Garuda) पर जैव विविधता संबंधी वृत्तचित्र का निर्माण के स्थान पर यह निर्णय हुआ कि वृत्तचित्र के निर्माण का विषय Garuda के लिए सिमित न रखकर अन्य विषय भी लिये जाए, तथा आवश्यकतानुसार इसके लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी कराया जा सकता है।

3. **कार्यावली सं०—03 वर्ष 2024—25 की वार्षिक कार्य—योजना**

   (क) पूर्व स्वीकृत योजनाओं के विस्तारीकरण

   (1) विरासत वृक्षों की पहचान, सत्यापन एवं नया सर्वेक्षण —

   Phase-III के रूप में जिन 33 जिलों में प्रथम चक्र के सवेक्षण में 100 से कम वृक्षों की पहचान की गयी है उन जिलों में एक अतिरिक्त चक्र सर्वेक्षण कार्य कराकर उनमें से 1000 और वृक्षों को चयन कर उनका सत्यापन कार्य 16.75 लाख रूपये के प्राक्कलन पर कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

   (2) पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण। इस कार्य के स्वरूप एवं संख्यात्मक व्यापकता के आलोक में

व्यवहारिक पहलुओं तथा प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा हुई। तदोपरान्त प्राक्कलित राशि 37.5 लाख रूपये का उपयोग 15 जिलों में प्रशिक्षण कार्य कराने के लिए अनुमोदित किया गया।

इस संदर्भ में यह भी संज्ञान में लिया गया कि कार्यावली संख्या 4(5) में प्रस्तावित 15 बायोडायवर्सीटी प्रोग्राम एशोसिएट के नियोजन की व्यवस्था कराकर उनका उपयोग प्रशिक्षण संबंधी क्रिया-कलापों में भी किया जाएगा।

(3) **जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन।**

450 जन जैव विविधता पंजी के उन्नयन का कार्य 10 लाख रूपये के प्राक्कलन पर कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(4) **अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन।**

(क) राजधानी पटना में संजय गाँधी जैविक उद्यान में प्रस्तावति कार्यक्रम के लिए 5 लाख रूपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया।

(ख) सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन जिला नोडल पदाधिकारी (वन प्रमण्डल पदाधिकारी) के नेतृत्व में सम्पन्न कराने हेतु 9.5 लाख रूपये की समर्थन राशि के प्रावधान का अनुमोदन किया गया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के निर्देश एवं परामर्श के अनुसार कायक्रमों के विषय-बिन्दुओं में विश्व पर्यावरण दिवस एवं मेरी लाईफ (MeriLIFE) से संयोजित कर जिलों में 22 मई 2024 से 05 जून 2024 के अन्तर्गत यथा उपयुक्त तिथि को यथा व्यवहारिक स्थानीय जैव विविधता प्रबंध संमिति को सहयोजित कर ये कार्यक्रम कराये जाने है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से इसके लिए 3.5 लाख रूपये का अनुदान अपेक्षित है।

(5) High Resolution Satellite Imagery द्वारा नालन्दा जिले के कराय-पशुराय प्रखण्ड के प्राकृतिक वनों के बाहर के क्षेत्रों में हरित आवरण का आकलन का कार्य इस वर्ष विगत वर्ष में क्रय किये गये High-End Computer System के प्रयोग से पर्षद के संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। पर्षद को यह जानकारी दी गयी।

(6) **City Biodiversity Index of Patna, Gaya, Bhagalpur City of Bihar.**

इस कार्य के उद्देश्य एवं उपयोगिता के संबंध में चर्चा की गयी। राज्य में बढ़ते शहरीकरण के परिदृश्य में नगर परिवेश में जैव विविधता की स्थिति एवं उसके संरक्षण के समावेश को विभिन्न योजना कार्यो में सुनिश्चित करने के लिए तथ्यपरक वैज्ञानिक व्यवस्था वांछित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार

City Biodiversity Index सुत्रों इत्यादि के अनुरूप राज्य में भी चयनित शहरों में इसका प्रयोग करना वांछित है।

तदोपरान्त 55.00 लाख रूपये के प्राक्कलन पर उल्लेखित तीन शहरों के **City Biodiversity Index** संबंधी अध्ययन कार्य विशेषज्ञ संस्थान/एजेंसी द्वारा निविदा प्रक्रिया माध्यम से सम्पादित कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(7) **बिहार राज्य की जैव विविधता कार्य योजना तैयार किया जाना।**

इस विषय के संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये एवं इस कार्य को दो चरण में कराने के संबंध में कार्यावली टिप्पणी में उल्लेखित प्रस्ताव को स्पष्ट किया गया।

विचार–विमर्श उपरान्त प्रथम चरण में Biodiversity Action Plan Framework Document को पर्षद अपने पदाधिकारियों, संबंधित विभागों के प्रतिनिधि तकनीकी पदाधिकारियों तथा आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों के एक कार्यदल के सहयोग के माध्यम से कराने के प्रस्ताव को सहमति दी गयी। इस प्रयोजनार्थ 12.00 लाख रूपये के प्राक्कलित व्यय को अनुमोदित किया गया।

4. **कार्यावली सं०–04– नए कार्यों एवं क्रिया कलापों का प्रस्ताव**

(1) जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, घोषणा एवं संरक्षण–प्रबन्ध योजना।

कार्य की प्रस्तावित रूप–रेख एवं कार्य प्रणाली पर गौर करते हुए पर्षद ने राज्य में 15 जैव विविधता विरासत स्थलों के चयन एवं उनके स्थलीय विशिष्टियों के अध्ययन इत्यादि तथा संबंधित स्थानीय निकायों एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति (यथा आवश्यक) से परिचर्चा इत्यादि के क्रिया–कलापों के साथ उक्त प्रस्तावों का सूत्रण कराने में सम्मति दी गयी। इस प्रयोजनार्थ 10.00 लाख रूपये के प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया।

(2) सरकारी विभागीय पदाधिकारियों का क्षमता विकास एवं उन्मुखीकरण/सुसाध्यीकरण।

(क) वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की कार्यशाला –

प्रस्ताव के अनुरूप 01 राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला 5.00 लाख रूपये के प्राक्कलन पर आयोजन का अनुमोदन किया गया।

(ख) जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पंचायती राज, कृषि, नगर प्रशासन पशुपालन एवं मतस्य तथा जल संसाधन विभाग, के पदाधिकारियों के

लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला– प्रस्ताव के अनुरूप 9 प्रमण्डलीय मुख्यालयों में 18.00 लाख रूपये के प्राक्कलन पर 1 या ½ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन का अनुमोदन किया गया।

(3) **विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान**

(क) प्रस्ताव में वर्णित अनुसंधान परामर्श समिति की व्यवस्था को कार्यान्वित करने मे पषर्द की सम्मति प्रदान की गयी।

(ख) प्रस्ताव में उल्लेखित निम्नांकित 3 विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान संबंधी प्रस्तावित परियोजनाओं का प्राक्कलिप वित्तीय प्रावधान के साथ अनुमोदन इस निदेश के साथ किया गया कि इनके संबंध में प्रस्तावित अनुसंधान के स्कोप एवं कार्य व्यवस्था इत्यादि को विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित कर जी जाए एवं तदोपरान्त अनुसंधान परामर्श समिति द्वारा इनका appraisal करा कर इन्हे हाथ में लिया जाए। साथ ही वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के नियोजन में empanelment की व्यवस्था वाछित होगी।

Special Study/ Research Project	Estimated Amount
4.3.2. Study on Status of Selective Aspects of Biological Diversity in non–PA, PA and forest fringe areas in Gaya district.	Rs. 10.00 Lakh
4.3.3 Study on the feasibility of introducing freshwater mangrove species in north Bihar flood-affected area for flood mitigation.	Rs. 7.50 Lakh
4.3.4 Study on Selective Aspects of Biological Diversity of aquatic and semi aquatic landscapes of selected non-PA wetlands.	Rs. 7.50 Lakh

(4) **बि.रा.जै.वि.पर्षद, तथा विभागीय पदाधिकारियों, एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का Exposure visit**

प्रस्ताव में पर्षद की सम्मति प्रदान की गयी। इसके लिए वित्तीय प्रावधान पंचायती राज विभाग तथा पदाधिकारियों के पैतृक विभागों के यात्रा व्यय इत्यादि बजट से वहन होगी।

(5) **Proposal for the engagement of a district-level 10 Biodiversity Programme Associates for training, mobilisation and facilitation of functioning of Biodiversity Management Committees**

प्रस्ताव के लक्ष्यों एवं क्रियान्वयन व्यवस्था के संबंध में पर्षद के सचिव द्वारा वर्णन किया गया। सम्यक विचार विमर्श उपरान्त जिलो के लिए 15 Biodiversity Programme Associates तथा एक State Level Cooridantor के संविदा पर 10 माह (15x10 Manmonth + 1x10 Manmonth) के संविदा नियोजन हेतु 42.33 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी।

5. **कार्यावली सं०–05– पर्षद के कार्मिक बल के विरूद्ध पदस्थापन एवं रिक्ति की स्थिति**

(1) पर्षद द्वारा संज्ञान में लिया गया और अपेक्षा की गयी कि शीघ्र 3 रिक्त संविदा पदों के लिए पुनः विज्ञापित प्रकाशित कर नियोजन की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।

(2) संविदा पर सेवा निवृत कार्यालय सहायक जिनकी उम्र 30 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष पूरी हो रही है, पर्षद के कार्य सम्पादन की अनिवार्य आवश्यकता के मद्देनजर हेतु तात्कालिक व्यवस्था हेतु 6 माह के संविदा सेवा के विस्तारण हेतु प्रस्ताव सरकार को संलेख के साथ उपलब्ध करा दिया जाए। इस बीच सरकार के सक्षम स्तर से इस मामले में अनुमोदन प्राप्त होने तक उक्त संविदा कार्यालय सहायक जिनकी सेवा मानदेय के आधार पर ली जा सकती है।

इस अवधि में एक चयनित संविदा कार्यालय सहायक के का योगदान देना प्रत्याशित है। उनके योगदान देने की अवस्था में समुचित निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

(3) पर्षद द्वारा संज्ञान में लिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि पर्षद अपने बढ़े कार्य दायित्वों के अनुरूप संविदा सेवा में स्वीकृत कार्यबल में वृद्धि हेतु इन दो पदों सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करावे ताकि सक्षम स्तर से संस्वीकृति करायी जा सके।

(4) दो वाहन चालक को अति कुशल मजदुरी दर पर नियोजन हेतु अनुमोदन इस निर्देश के साथ दिया गया कि स्वीकृत कार्यबल में वृद्धि हेतु इन पदों सहित कालान्तर में प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करावे ताकि सक्षम स्तर से संस्वीकृति करायी जा सके।

6. **कार्यावली सं०–6– (पूरक) – जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002, संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसरण में राज्य स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई :–**

इस संबंध में पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण की गयी। यह अपेक्षा की गयी कि पर्षद अपने स्तर से बिहार जैव विविधता नियम 2017 में सुसंगत संशोधनों की तैयारी कर ले ताकि जुलाई 2024 में केन्द्र सरकार द्वारा नियम में संशोधन जारी

होते ही राज्य सराकर को उक्त नियम में संशोधन का प्रस्ताव संलेख शीघ्र उपल्बध करा दी जाए।

7. **अन्यान्य–**

विचार विमर्श के उपरान्त यह तय किया गया कि पर्षद अपने क्रिया कलापों का स्वरूप एवं आकार राज्य की आवश्यकता के आलोक में विस्तारित करे एवं इसके अनुरूप वित्तीय प्रावधान की वृद्धि पर अगली बैठक में विचार किया जाय। इस आशय से पर्षद के कार्यबल में भी समुचित वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

(भारत ज्योति)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

प्रस्ताव के लक्ष्यों एवं क्रियान्वयन व्यवस्था के संबंध में पर्षद के सचिव द्वारा वर्णन किया गया। सम्यक विचार विमर्श उपरान्त जिलो के लिए 15 Biodiversity Programme Associates तथा एक State Level Cooridantor के संविदा पर 10 माह (15x10 Manmonth + 1x10 Manmonth) के संविदा नियोजन हेतु 42.33 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी।

5. **कार्यावली सं०–05– पर्षद के कार्मिक बल के विरूद्ध पदस्थापन एवं रिक्ति की स्थिति**

(1) पर्षद द्वारा संज्ञान में लिया गया और अपेक्षा की गयी कि शीघ्र 3 रिक्त संविदा पदों के लिए पुनः विज्ञापित प्रकाशित कर नियोजन की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।

(2) संविदा पर सेवा निवृत कार्यालय सहायक जिनकी उम्र 30 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष पूरी हो रही है, पर्षद के कार्य सम्पादन की अनिवार्य आवश्यकता के मद्देनजर हेतु तात्कालिक व्यवस्था हेतु 6 माह के संविदा सेवा के विस्तारण हेतु प्रस्ताव सरकार को संलेख के साथ उपलब्ध करा दिया जाए। इस बीच सरकार के सक्षम स्तर से इस मामले में अनुमोदन प्राप्त होने तक उक्त संविदा कार्यालय सहायक जिनकी सेवा मानदेय के आधार पर ली जा सकती है।

इस अवधि में एक चयनित संविदा कार्यालय सहायक के का योगदान देना प्रत्याशित है। उनके योगदान देने की अवस्था में समुचित निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

(3) पर्षद द्वारा संज्ञान में लिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि पर्षद अपने बढ़े कार्य दायित्वों के अनुरूप संविदा सेवा में स्वीकृत कार्यबल में वृद्धि हेतु इन दो पदों सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करावे ताकि सक्षम स्तर से संस्वीकृति करायी जा सके।

(4) दो वाहन चालक को अति कुशल मजदुरी दर पर नियोजन हेतु अनुमोदन इस निर्देश के साथ दिया गया कि स्वीकृत कार्यबल में वृद्धि हेतु इन पदों सहित कालान्तर में प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करावे ताकि सक्षम स्तर से संस्वीकृति करायी जा सके।

6. **कार्यावली सं०–6– (पूरक) – जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002, संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसरण में राज्य स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई :–**

इस संबंध में पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण की गयी। यह अपेक्षा की गयी कि पर्षद अपने स्तर से बिहार जैव विविधता नियम 2017 में सुसंगत संशोधनों की तैयारी कर ले ताकि जुलाई 2024 में केन्द्र सरकार द्वारा नियम में संशोधन जारी

होते ही राज्य सराकर को उक्त नियम में संशोधन का प्रस्ताव संलेख शीघ्र उपल्बध करा दी जाए।

7. अन्यान्य–

विचार विमर्श के उपरान्त यह तय किया गया कि पर्षद अपने क्रिया कलापों का स्वरूप एवं आकार राज्य की आवश्यकता के आलोक में विस्तारित करे एवं इसके अनुरूप वित्तीय प्रावधान की वृद्धि पर अगली बैठक में विचार किया जाय। इस आशय से पर्षद के कार्यबल में भी समुचित वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

ह०/–
(भारत ज्योति)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

ज्ञापांक बी0 236, दिनांक 26.04.2024

प्रतिलिपिः–

(1) अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
(2) प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
(3) सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना।
(4) सचिव, कृषि विभाग, पटना।
(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना।

26.04.24
(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना